# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

## पीठासीन अधिकारी–श्री मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 69/2008 | 21.07.2008 | 31.10.2017 |

रामजीलाल पुत्र नाथ्या, जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी –वादी

बनाम

1. कलुआ पुत्र शिब्बा जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी –मृतक

1/1 राजन्ती पत्नी स्व0 कलुआ जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी

1/2 राजेन्द्र ना0बा0 पुत्र स्व0 कलुआ जरिये संरक्षक माता राजन्ती पत्नी स्व0 कलुआ जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी

2. रामखिलाड़ी पुत्र श्रीफूल जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी
3. केदार पुत्र रामखिलाड़ी जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी
4. कलुआ पुत्र रामखिलाड़ी जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी
5. बृजलाल पुत्र हिमोला जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी
6. भरतलाल पुत्र हिमोला जाति मीना निवासी पीलोदा, तहसील गंगापुर सिटी

–प्रतिवादीगण

### <u>दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :–श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक–31.10.2017**

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पीलोदा स्थित भूमि खसरा नंबर 5054 रकबा 0.34 हेक्टर , 5056/2 रकबा 1.58 हेक्टर, 5042/1 रकबा 0.33 हेक्टर, 5043 रकबा 0.19 हेक्टर वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। इस भूमि से अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण सरगना एवं झगडालू गिरोहबन्द लट्ठबाज व्यक्ति है। वे अपनी लट्ठ के ताकत के जोर से वादी की उक्त आराजी को छीनने पर उतारू है। वादी ने इन खेतों को फसल उन्हालू काश्त करने हेतु जोत कर तैयार कर लिया है। दिनांक 22.09.04 को प्रतिवादीगण हाथों में लट्ठ लेकर वादी के खेतों पर आ गये व कहने लगे कि तेरे इन खेतों को हम तूझे काश्त नहीं करने देगें, हम इन खेतों को काश्त करेगें। इस पर वादी ने किसी तरह उस वक्त अपनी जान बचाई। दिनांक 3.10.04 को फिर प्रतिवादीगण ने धमकी दी। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 5054 रकबा 0.34 हेक्टर , 5056/2 रकबा 1.58 हेक्टर, 5042/1 रकबा 0.33 हेक्टर, 5043 रकबा 0.19

सहायक कलेक्टर
एवं ... लक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Scanned by CamScanner

हेक्टर ग्राम पीलोदा में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं उत्पन्न करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नंबर 5056/2, 5042/1 से वादी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा भूमि हाल खसरा नंबर 5054 रकबा 0.34 हेक्टर वादी के अमीनों ने गलत लगा दी है जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी नंबर 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 ने भूमि खसरा नंबर 5054 प्रतिवादी नंबर 2 को विक्रय कर दी है। जिसकी लिखा पढ़ी स्टाम्प पर प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 के हक में कर प्रतिवादी नंबर 2 को कब्जा संभला दिया है। तभी से भूमि खसरा नंबर 5054 पर प्रतिवादी नंबर 2 का कब्जा चला आ रहा है। वादी का किसी भी खसरा नंबर पर कोई कब्जा नहीं है। इसलिए बिना कब्जे के दावा वादी चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे। वादी को दिनांक 22.09.04 एवं 03.10.04 को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। इसी बिना पर दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2058–61 प्रदर्श 1 पेश की है एवं स्वयं वादी के बयान करवाये है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में न तो कोई दस्तावेज पेश किया एवं वे दौराने सुनवाई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 27.03.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वाद वादी डिक्री करने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2058–61 प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा नंबर 5054 रकबा 0.34 हेक्टर, 5056/2 रकबा 1.58 हेक्टर, 5042/1 रकबा 0.33 हेक्टर, 5043 रकबा 0.19 हेक्टर ग्राम पीलोदा रामजीलाल पुत्र नाथ्या जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी एक रिकार्डेड खातेदार है। एक रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपयोग में अन्य किसी भी व्यक्ति को बाधा पहुँचाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वैसे भी प्रतिवादीगण दौराने सुनवाई उपस्थित नहीं आये एवं न ही उनके द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज ही पेश किया गया है। अतः हमारी विनम्र राय में वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned by CamScanner

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 5054 रकबा 0.34 हेक्टर, 5056/2 रकबा 1.58 हेक्टर, 5042/1 रकबा 0.33 हेक्टर, 5043 रकबा 0.19 हेक्टर ग्राम पीलोदा के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)<br>
सहायक कलेक्टर एवं<br>
कार्यपालक मजिस्ट्रेट<br>
गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner